रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2015/कार्तिक 13, 1937
No. 361] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2015/KARTIKA 13, 1937

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2015

फा. सं. पी. 15025/263/13–पीए/एफएसएसएआई.—भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) (संशोधन) विनियम, 2014 का प्रारूप खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग III खंड 4 तारीख 17 अक्तूबर 2014 में भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा. सं. पी. 15025/263/13–पीए/एफएसएसएआई तारीख 17 अक्तूबर, 2014 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, से उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां 17 अक्तूबर, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जनता से उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2015 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, 'खाद्य सहयोज्य' से संबंधित विनियम 3.1 में–

(क) ''विनिर्दिष्ट सीमाओं में उपयोग के लिए अन्य पदार्थ'' से संबंधित उप विनियम 3.1.17 में, की सारणी में क्रम सं.19 और उससें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

क्रम सं.	पदार्थ	खाद्य	उपयोग का अधिकतम स्तर (पीपीएम) मिली ग्राम / किलोग्राम
1	2	3	4
''20.	पुल्लुलन (प्रगाढन और कांचतीकरण अभिक्रमक)	डेयरी आधारित मिष्ठान जैसे पुडिंग, फल या सुवासित योगाहर्ट आदि, उपर्युक्त वर्णित खाद्य प्रवर्ग–1 के डेयरी आधारित मिष्ठान उत्पादों को छोड़कर वसा आधारित मिष्ठान 1 पहले से पका हुआ पास्ता और नूडल्स और जैसे उत्पाद परिपक्वन और मसाले	जीएमपी''।

आषीष बहुगुणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./187-0/15(246)]

टिप्पण :– मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फां. सं. 2–15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा किए गए :

(i) फा. स. 4/15015/30/2011 तारीख 07 जून, 2013

(ii) फा. स. पी. 15014/1/2011–पीएफए/एफएसएसएआई तारीख 27 जून, 2013

(iii) फा. स. 5/15015/30/2012 तारीख 12 जुलाई, 2013

(iv) फा. स. पी. 15025/262/2013–पीए/एफएसएसएआई तारीख 05 दिसंबर, 2014

(v) फा. स. पी. 1–83/एससीआईपीएएन–अधि./एफएसएसएआई तारीख 17 फरवरी, 2014

(vi) फा. स. 4/15025/30/2011 तारीख 04 अगस्त, 2015

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2015

F. No P. 15025/263/13-PA/FSSAI.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards of India (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2014, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 17th October, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 17th October, 2014, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 17th October, 2014;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations

further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 3.1 relating to "Food Additives",-

(a) in sub-regulation 3.1.17 relating to "Other substances to be used in Specified limits", in the TABLE, after serial number 19 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl.No.	Substances	Food	Maximum level of use (ppm) mg/kg
(1)	(2)	(3)	(4)
"20.	Pullulan (thickening and glazing agent)	Dairy based desserts, such as pudding, fruit or flavoured yoghurt,etc., Fat-based dessert excluding dairy based dessert products of food category 1 mentioned above. Pre-cooked pastas and noodles and like products. Seasoning and condiments.	GMP".

ASHISH BAHUGUNA, Chief Executive Officer
[Advt. III/4/Exty./187-0/15(246)]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F.No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2010 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013.
(ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013.
(iii) F.No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013.
(iv) F.No. P15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014.
(v) F.No. 1-83/SciPan-Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015.
(vi) F.No. 4/15025/30/2011, dated 4th August, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.